कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) जिला–सुकमा (छ0ग0)

क्रमांक/540 /मबावि/स्था0/सु.के./2020–21 सुकमा,दिनांक.26.../10/2020

"वॉक इन इंटरव्यू हेतु विज्ञापन"

"मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र" छिंदगढ़, दोरनापाल एवं कोन्टा में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिए सूचना

"मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र" में गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों की तरह ही लाभांवित किया जाना है। "मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र" में कुपोषित बच्चों के देखभाल, दैनिक कार्यों के निवर्हन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति एक वर्ष तक के लिए किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों (व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं) की नीचे उल्लेखित कार्यो/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जावेगी।

अतः इच्छुक आवेदक दिनांक **04.11.2020** को कार्यालयीन समय प्रातः **10:30** बजे कक्ष क्रमांक 43 महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर,कुम्हाररास जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्रं0	सेवा का नाम	पदों की संख्या	निर्धारित एक मुश्त सेवा शुल्क	सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु सीमा
1	स्टॉफ नर्स	06	12500/– प्रतिमाह	18 से 35 वर्ष
2	फिडिंग डिमोस्ट्रेटर्स	03	10000/– प्रतिमाह	
3	केयर टेकर	03	10000/– प्रतिमाह	
4	भृत्य/सफाईकर्मी	06	9000/– प्रतिमाह	
5	चौकिदार	03	6000/– प्रतिमाह	

टीपः– "मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र" का संचालन छिन्दगढ़,दोरनापाल एवं कोन्टा में किया जाना है।

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :–

No.	POST NAME	Educational Qualification
1	Staff Nurse	Bsc. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registrastion Council.
2	Feeding Demostrator	BSC Home Science
3	Care Taker	10 Th Passed
4	Peon/Cleanar	08 Th Passed
5	Chowkidar	05 Th Passed

- "मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र" में रिक्त सेवा प्रदाता की जानकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,महिला एवं बाल विकास,कलेक्टर परिसर,कुम्हाररास जिला–सुकमा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता,अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण www.sukma.gov.in वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
- विज्ञापन में दिए गये प्रारुप अनुसार आवेदन पत्र टंकित कराया जाकर दिनांक 04.11.2020 को समय प्रातः 10:30 बजे कक्ष क्रमांक 43 महिला एवं बाल विकास विभाग

Scanned with CamScanner

कलेक्टर परिसर,कुम्हाररास जिला–सुकमा में आवेदक उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकेंगे।

- ''मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र'' कोन्टा,छिन्दगढ़ एवं दोरनापाल में स्थापित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरल क्रमांक 03,04 एवं 05 के सेवा प्रदाता हेतु स्थानीय निवासी के आवेदन ही मान्य किए जायेंगे।

जि0म0बा0वि0अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–सुकमा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :-

1. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला-सुकमा के मध्य 01 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
2. सेवा प्रदाता को एक मुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकार के वेतन/भत्ते की पात्रता नही होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध शर्तो के अनुसार एक मुश्त राशि दी जायेगी।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. आयु की गणना 01 नवम्बर 2020 की स्थिति में की जायेगी।
5. सरल क्रमांक 01 से 02 में उल्लेखित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र होंगे। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. सरल कमांक 03 से 05 में उल्लेखित पदों पर केवल सुकमा जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
7. यह नियुक्ति, न ही नियमित है और न संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत् ''मुख्यमंत्री सुपोषण केन्द्र'' के लिए की जा रही है।
8. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
9. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित/सत्यापित वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
10. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर या कार्यालयीन जावक क्रमांक नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया जावेगा। अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह का अनुभव होने पर एक वर्ष का 05 अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नही की जावेगी।
11. अपूर्ण,अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नही दी जावेगी।
12. प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा।
13. वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नही होगा।
14. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेंगे।
15. चयन प्रकिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य/ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. उक्त पद अस्थानांतरित होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नही देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

Scanned with CamScanner

17. उक्त पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 03 माह तक होगी। इस समयावधि में त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति भी इसी प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। उक्त वैधता सूची की तिथि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।

18. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

पदनाम	चयन प्रक्रिया
1. स्टॉफ नर्स 2. फिडिंग डिमोस्ट्रेटर्स 3. केयर टेकर	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक • पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे। • लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 15 अंक निर्धारित रहेंगे।
4. भृत्य/सफाईकर्मी 5. चौकिदार	• वरीयता क्रम अनुसार

उपरोक्तानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंको की मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा 01 पद के लिए अधिकतम 05 उम्मीदवारों को प्राक्चयन परीक्षा/लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जावेगा।

19. प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा के सूचना पटल एवं वेबसाईट **www.sukma.gov.in** पर देखी जा सकती है।

- चयन की प्रक्रिया/कार्यवाही निम्नानुसार होगीः–
- आवेदन पत्र जमा करने का समय – प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक
- आवेदन पत्रों का परीक्षण का समय – 12:30 बजे से 01:30 बजे तक
- पात्र/अपात्र की सूची का प्रकाशन – 02:00 बजे तक
- दावा आपत्ति का समय – 02:30 बजे तक
- दावा आपत्ति निराकरण का समय – 03:00 बजे तक
- मेरिट सूची का प्रकाशन – 03:30 बजे तक
- साक्षात्कार का समय – चयन समिति के निर्णय अनुसार

जि0म0बा0वि0 अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–सुकमा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner